

ग्रामीण सेवा शिविर अभियान 2025  
 433/25 ग्राम पंचायत राजस्थान-सरकार  
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती जिला करौली

दिनांक:- 17-10-25

क्रमांक:-

"ग्रामीण सेवा शिविर"

कैम्प कोर्ट

2025/451

बनाम राजस्व का

अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 138

निर्णय दिनांक:- 17-10-25

पटवारी हल्का सिन्हा, भू. अभिलेख निरीक्षक सिन्हा की रिपोर्ट एवं तहसीलदार नादौती की अभिशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 138 के तहत राजस्व ग्राम सिन्हा के खाता संख्या 87 में निम्नानुसार शुद्ध किये जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	राजस्व ग्राम का नाम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	अशुद्ध प्रविष्टि	शुद्ध उपरान्त प्रविष्टि	वि. विवरण
01.	<u>सिन्हा</u>	<u>87</u>		<u>पन्थू</u>	<u>पन्थू</u>	
02.						
03.						
04.						

उपखण्ड अधिकारी  
 नादौती  
 कैम्प कोर्ट

क्रमांक:-

दिनांक:-

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. तहसीलदार नादौती को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
02. पटवारी, पटवार हल्का.....।
03. प्रार्थी.....।

उपखण्ड अधिकारी  
